दिनांक– 15.06.2016 को 5.00 बजे अपराह्न में कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में क्षेत्र सहायक नियमावली, 2014 की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना।
2. कृषि निदेशक, बिहार पटना।
3. उप निदेशक (प्रशासन), कृषि निदेशालय, बिहार पटना।
4. संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार पटना।
5. संयुक्त निदेशक (योजना), कृषि निदेशालय, बिहार पटना।
6. संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना प्रमण्डल, पटना।

1. बैठक में दिनांक– 17.05.2016 को बिहार कृषि क्षेत्र सहायक संवर्ग नियमावली, 2016 के प्रारूप पर आयोजित बैठक की कार्यवाही पर विचार–विमर्श किया गया। मुख्यतः वर्तमान परिपेक्ष्य में क्षेत्र सहायकों के कार्य दायित्वों पर विचार करते हुए उनके पद की व्यवहारिकता पर एवं पद सोपान के संबंध में विचार विमर्श किया गया।

2. नियमावली प्रारूप पर विचारोपरान्त वर्णित पद के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि क्षेत्र सहायक के पद की उपयोगिता वर्तमान परिस्थिति में नहीं है। पूर्व में संयुक्त निदेशक (उपयोगी अनुसंधान), बिहार पटना के कार्यालय द्वारा जिलों में Adaptive Trial कराये जाते थे जिसका मुख्य उद्देश्य था कि अनुसंधान के दौरान नव–विकसित तकनीकी एवं विभिन्न फसलों के प्रभेदों को उवर्रक के अनुशंसा के अनुरूप उत्पादकता का आकलन करते हुए तदनुसार किसी खास क्षेत्र एवं कृषि जलवायुवीय क्षेत्र के लिए अनुशंसा हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता था। इस कार्य हेतु क्षेत्र सहायक द्वारा अपने क्षेत्राधीन चिन्हित कृषकों के प्रक्षेत्र से मिट्टी नमूना संग्रह करना, प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु भेजना, विश्लेषण के फलाफल के आधार पर Recommended Dose of Fertilizer की Application के आधार अनुसंधान/प्रत्यक्षण कराना तथा फलाफल से मुख्यालय (संयुक्त कृषि निदेशक, उपयोगी अनुसंधान) को अवगत कराना था।

   वर्तमान में प्रभेदों एवं विभिन्न तकनीकी का प्रयोग एवं अनुसंधान एवं इस पर आधारित प्रत्यक्षण कृषि विश्वविद्यालय एवं उनके अधीन कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा कराया जाता है। फलस्वरूप वर्तमान में उपयोगी अनुसंधान कार्यालय से इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे क्षेत्र सहायकों के कार्यों की कोई व्यवहारिकता नहीं रह गई।

3. संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार पटना द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में संयुक्त निदेशक (उपयोगी अनुसंधान) का पद सम्परिवर्तित होकर संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना हो गया है तथा क्षेत्र सहायकों द्वारा उनके पद के अनुरूप कार्य नहीं लिया जा रहा है। क्षेत्र सहायकों को कृषि विभाग के विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त करते हुए इनसे लिपिकीय कार्य लिया जा रहा है। वर्तमान में क्षेत्र सहायक का कुल 318

स्वीकृत पद है जिसके विरूद्ध 47 क्षेत्र सहायक कार्यरत हैं। संयुक्त निदेशक (शष्य) पटना प्रमण्डल, पटना के द्वारा भी उपरोक्त परिस्थितियों की पुष्टि की गई।

4. यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्र सहायकों की नियमावली को अन्तिम रूप देने के पहले यह आवश्यक है कि कृषि विभाग में अधीनस्थ सेवा समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कर्मियों सभी पदों एवं उस पर पदस्थापित की संख्या तथा उनके कार्य दायित्वों/वेतनमान को देखते हुए वैसे सभी पद जिनकी वर्तमान परिपेक्ष्य में व्यवहारिकता नहीं रह गई है की जानकारी प्राप्त की जाय तथा उक्त पदों का एकीकरण किया जाय। चूँकि क्षेत्र सहायकों के कार्य की अब कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। अतः इनका एक अलग संवर्ग बनाना एवं उस संवर्ग की नियमावली तैयार करना एवं इनके नियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति/पदसोपान बनाने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है। वर्तमान में क्षेत्र सहायक के पद पर कार्यरत कर्मियों को एकीकरण के क्रम में समायोजित करने की भी आवश्यकता बताई गयी।

5. निम्न बिन्दुओं पर क्षेत्रीय एवं राज्यस्तरीय कार्यालयों से प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया :–

1. कुल स्वीकृत पद।
2. कुल कार्यरत बल।
3. कुल रिक्त बल।
4. पदों की शैक्षणिक योग्यता।
5. वेतनमान/ग्रेड पे।
6. कार्य दायित्व।
7. पदसोपान।
8. नियमावली की स्थिति (बनी है या नहीं)।

कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय द्वारा उपरोक्त जानकारियों उपलब्ध कराने का निर्देश उप निदेशक (प्रशासन) को दिया गया एवं अगली बैठक शीघ्रताशीघ्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई। ह0/–

(विजय प्रकाश)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

ज्ञापांक–6/स्था/नियुक्ति-6/10. 596 /पटना, दिनांक– 28-6- /2016

प्रतिलिपि :– निदेशक, उद्यान, बिहार पटना/निदेशक, पी॰पी॰एम॰, बिहार पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन), मि॰जाँ॰प्र॰, बिहार पटना/संयुक्त निदेशक (पाट), बिहार पूर्णियाँ/संयुक्त निदेशक, गु॰नि॰, बिहार पटना/संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन), कम्पोस्ट, बिहार पटना/संयुक्त निदेशक–सह–नियंत्रक, माप तौल, बिहार पटना/संयुक्त निदेशक, कृषि अभियंत्रण, बिहार पटना/उप निदेशक, बीज विश्लेषण, बिहार पटना/उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार पटना/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.6.16

कृषि उत्पादन आयुक्त।